राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2682/2023

प्रेम कुमार व्यास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला कलेक्टर, जिला भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भीलवाडा।
5. प्रधानाध्यापक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भोपालगंज, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.10.2023

आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2023 व 26.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को बहाल करते हुए शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गोपालगंज, भीलवाडा में ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्ष 2015 से पूर्व से ही सर्वाइकल की बीमारी से ग्रसित है तथा अपीलार्थी रीढ की हड्डी से भी पीड़ित है, जिससे उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम भीलवाडा ने आदेश दिनांक 24.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को रणजीत सिंह के स्थान पर बूथ लेवल अधिकारी के पद पर नियुक्त

किया था, जिस पर अपीलार्थी ने जुलाई, 2023 में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी सर्वाइकल की बीमारी से ग्रसित है। इसलिए चिकित्सक की सलाह अनुसार अपीलार्थी ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, इसलिए बूथ लेवल अधिकारी के पद पर लगाई गई ड्यूटी को निरस्त करने की कृपा करे, जिस पर एसडीएम ने दिनांक 05.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी की बूथ लेवल अधिकारी की ड्यूटी को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के स्थान पर विद्या डोडवानी अध्यापक को बूथ लेवल अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी की ड्यूटी को निरस्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी का नियुक्ति अधिकारी नहीं होने के बावजूद आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा निलंबित करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय एसडीएम आसींद, जिला भीलवाडा में किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 26.09.2023 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी को निलंबन आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध जाकर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए निलंबित किया गया है। जबकि अपीलार्थी पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2023 व 26.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को बहाल करते हुए शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गोपालगंज, भीलवाडा में ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम भीलवाडा ने आदेश दिनांक 24.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को रणजीत सिंह के स्थान पर बूथ लेवल अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था, आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध

विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.09.2023 के द्वारा निलंबित करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय एसडीएम आसींद, जिला भीलवाडा में किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 26.09.2023 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दिए गए आदेशों एवं कार्यों की पालना नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है, जो हमारे मत में नियमानुसार एवं उचित प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध आलोच्य आदेश जारी किया गया हो। इसलिए हम आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2023 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य